"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मई 2013 — ज्येष्ठ 1, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक 49/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ई) सहपठित धारा 181 द्वारा आयोग में निहित शक्तियों एवं ऐसी अन्य समस्त शक्तियों का, जो आयोग को इस हेतु समर्थ बनाती हो, उपयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन करने के उपरांत, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना के क्रियान्वयन हेतु, आयोग, पूर्व में बनाये गये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2011 (सी.एस.ई.आर.सी. आर.पी.ओ.—आर.ई.सी. रेग्युलेशन्स 2011 या मूल विनियम) को संशोधित करने हेतु एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013

01. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.1 इन विनियमों को छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 कहा जायेगा।

1.2 ये विनियम मूल विनियमों के लागू रहने की कालावधि में ही प्रभावशील होंगे।

02 मूल विनियमो के विनियम 9 में संशोधन :—

विनियम 9.1 के आठवें परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे—

परन्तु किसी दायित्वाधीन एकक द्वारा, दायित्वकृत अवधि के भीतर अपने दायित्व की पूर्ति हेतु, क्रय की गई नवीकरणीय ऊर्जा अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार के क्रय के आधिक्य अथवा कमी की दशा में अनुवर्ती वर्ष के दायित्वों की पूर्ति हेतु विचार में लिया जावेगा।

आयोग के आदेशानुसार

(पी.एन. सिंह)
सचिव